


क्र. अध्यक्ष डिस्कॉम्स/अधी.अभि.(आर.ई)/अधि.अभि.(आरई)/प. /प्रे. 569 दि.16.12.2021

### आदेश


वित्तीय वर्ष 2021-22 में नये कृषि कनेक्शनों को समय से जारी की प्रक्रिया में यह ध्यान में लाया गया है कि फील्ड में वर्तमान में अपरिहार्य कारणों से 25 केवीए क्षमता डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर समय से उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। जिसके कारण अन्य वरीयता वाले नये कनेक्शनों को जारी करने में विलंब हो रहा है।

अतः इस संबंध में लंबित कृषि कनेक्शनों को रबी सीजन में समय से जारी करने एवं माननीय ऊर्जा मंत्री राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 24.11.2021 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय की पालना में यह निर्देशित किया जाता है कि ऐसे कृषि आवेदक जिनके मांग पत्र जमा है व कृषि कनेक्शन नीति-2017 में निर्धारित वरीयता क्रम में उन्हें कनेक्शन जारी करना है तो ऐसे आवेदक का कनेक्शन वरीयता क्रम में 25 केवीए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की अनुपलब्धता के कारण नहीं रोका जावे। यानि ऐसे आवेदक जिन्हें 10/16 केवीए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की आवश्यकता व उपलब्ध है लेकिन उनकी वरीयता के मध्य अन्य आवेदकों को 25 केवीए ट्रांसफार्मर की भी आवश्यकता है तो ऐसे आवेदकों को 25 केवीए ट्रांसफार्मर की अनुपलब्धता में वरीयता लांघ कर कनेक्शन जारी किया जावे। यह व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2021-22 में जारी किये जाने वाले कृषि कनेक्शनों पर ही लागू होगी।

  
(भास्कर ए. सावंत)  
अध्यक्ष डिस्कॉम्स

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान् अति मुख्य सचिव उर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय उर्जा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर को सूचनार्थ।
3. श्रीमान् प्रबन्ध निदेशक, जयपुर/अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर/अजमेर/जोधपुर।
4. श्रीमान् निदेशक (तकनीकी/वित्त) जयपुर/अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर/अजमेर/जोधपुर।
5. श्रीमान् सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (जयपुर/भरतपुर/कोटा) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर/भरतपुर/कोटा।
6. श्रीमान् मुख्य अभियन्ता (CA-HQ) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
7. अधीक्षण अभियन्ता (पवस/जे.सी.सी/जेपीडीसी/एम.आई.एस./प्लान/विधि/आई.टी) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.।
8. अधीक्षण अभियन्ता (प्लान/पीपीएण्डएम)अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम अजमेर/जोधपुर।
9. प्रावैधिक सहायक, प्रबन्ध निदेशक, जयपुर/अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर/अजमेर/जोधपुर।
10. प्रावैधिक सहायक, मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
11. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. (रामबाग सर्किल), जयपुर।
12. मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी ( ) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
13. सलाहकार आयुक्त (विद्युत) मिनी सचिवालय, जयपुर।
14. अधिशाषी अभियन्ता (पवस/ग्रिवीन्सेज) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
15. विशिष्ट सहायक सलाहकार (एम), मुख्यमंत्री सचिवालय राजस्थान सरकार, जयपुर।
16. जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
17. निजी सहायक, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड जयपुर को सूचनार्थ।

  
16/12/21  
मुख्य अभियन्ता (पीपीएम)  
जयपुर डिस्कॉम, जयपुर